

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर-खीरी /

उप निदेशक, (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व।

पत्रांक- 1222 / 15-1(पेट्रोल पम्प-बरौठा) दिनांक, लखीमपुर-खीरी, अक्टूबर, 7 / 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी।

विषय:- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बेलरौठा-पनवारी मार्ग (एस०एच०-21) किमी० नं० 24 (चैनेज संख्या 23.410 से 23.445) के मध्य दाँयी पटरी पर गाटा संख्या-407 स्थित ग्राम बरौठा, तहसील व थाना निघासन, जिला (उ०प्र०) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.086211 हे० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयमध्य क्षेत्र, अलीगंज, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/०६/२९१/२०२१/एफ०सी०/ 611, दिनांक 04-01-2022 पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक 2010/ 11-सी-FP/UP/APPROACH/52653/ 2020 दिनांक 05.01.2022 एवं आपके कार्यालय के पृष्ठांकन पत्रांक 2610/ 15-6, दिनांक 21-01-2022 एवं 4828/ 15-6 (पेट्रोल पम्प)/52653/2020, दि० 29.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04-01-2022 के अनुपालन में विषयगत प्रस्ताव में इंगित निम्न कमियों का निराकरण करके सम्बन्धित अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.08 ha, which is less than the actual required CA land area.	प्रस्तावित स्थल का शुद्ध क्षेत्रफल 0.086211 हे० है। भारत सरकार के नवीन निर्देशानुसार दि० 25.04.2022 के क्रम में 172 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन कर उससे सम्बन्धित अभिलेख यथा प्राक्कलन Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet, kml file एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र पेन ड्राइव सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1559/11सी, दिनांक 31-12-2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5 हे० से कम क्षेत्रफल वाले चयनित स्थलों का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाना आवश्यक नहीं है। (संलग्नक-1)
2	The shape of the proposed CA land in the Geo-referenced map and .kml file is not the same, this needs rectification.	kml फाइल एवं स्थलीय नक्शा सही स्थिति में कर दिया गया है।
3	As per the Google earth imageries dated 02-07-2021, agriculture activity has been observed on the proposed CA land area. This needs clarification.	प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि से पृथक कर दिया गया है।
4	Since the proposed area is located in Buffer Zone as indicated in Part II, this needs to be clarified if this is part of buffer zone of any Protected area and if it is part of buffer zone of a PA then comments of Chief Wildlife Warden need to be furnished.	प्रस्तावित स्थल दुधवा नेशनल पार्क से 10 किमी की दूरी से बाहर है जिस कारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांछनीय नहीं है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुन्दरेश)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व।
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक- / अ-तददिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र व्यवहार के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सुन्दरेश)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग /
उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व।
लखीमपुर-खीरी।